झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1118 वर्ष 2017

श्री शशि कुमार सिंह, पे0 स्वर्गीय राम निहोरा सिंह, निवासी–शिवपुरी कॉलोनी, जोधाडीह मोड़, चास, डाकघर एवं थाना–चास, बोकारो

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर और थाना और जिला–धनबाद में है।
2. प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर और थाना और जिला–धनबाद में है।
3. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर और थाना और जिला–धनबाद में है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री सोमेश्वर रॉय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्तागण

03 / दिनांकः28 फरवरी, 2017

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2.. याचिकाकर्ता को एम0ए0डी0ए0 के कार्यालय में चंदन कियारी सर्कल में कीटाणुनाशक पर्यवेक्षक के पद पर 23.09.1981 को नियुक्त किया गया और वे 31.12.2016 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि, ग्रच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा, महंगाई भत्ते का बकाया, छठे वेतन संशोधन के लाभ और ए0सी0पी0 आदि के लाभों का भुगतान याचिकाकर्ता को नहीं किया गया है, हालांकि उसने अनुलग्नक–3 श्रृंखला के माध्यम से अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन ने कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं की है, इसलिए याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याचियों की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति बकायों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नरए अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके

बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा,, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह सेवानिवृत्ति की बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया पाने का हकदार है, तो प्रतिवादियों–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ ही इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)